

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली  
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
CENTRAL LIBRARY

निगमित सदस्यता प्रपत्र  
APPLICATION FORM FOR CORPORATE MEMBERSHIP

निगमित निकाय का नाम  
Corporate Body's Name \_\_\_\_\_

स्थायी पता  
Permanent Address \_\_\_\_\_

**वचनबधता/UNDERTAKING**

मैं केन्द्रीय पुस्तकालय, भा.प्रौ.सं. दिल्ली के नियम-विनियमों का पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ। संगठन को जारी किए गए परामर्श/पुस्तक निर्गम कार्ड के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी  
We promise to abide by the rules and regulations of the IIT Delhi Central Library and will be responsible for consultation / Borrower card issued to the organization.

(हस्ताक्षर /Signature)

दिनांक/Date: \_\_\_\_\_ अध्यक्ष, निर्माण निकाय (सील सहित)  
Head of the Corporate Body(with seal)

कार्यालय प्रयोग के लिए/FOR OFFICE USE ONLY

सदस्यता आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत  
The Membership Application Accepted / Not Accepted

पुस्तकालयाध्यक्ष/Librarian

ड्राफ्ट संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ बैंक का नाम \_\_\_\_\_ रुपए के लिए  
Draft No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_ Drawn on \_\_\_\_\_ For

रुपए \_\_\_\_\_ (रुपए \_\_\_\_\_ के लिए  
Amount Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ )

अध्यक्ष, पाठक सेवा प्रभाग  
Head, Reader services Division

सदस्यता क्रमांक /Membership No.:

केवल परामर्श सुविधा/पुस्तकें की सुविधा  
Only Consultation Facility/With Borrowing Facility

सदस्यता कार्ड प्राप्त किया /Membership Card Received

हस्ताक्षर/Signature:

नाम/Name:

पदनाम/Designation:

दिनांक/Date:

औद्योगिक और निगमित निकाय केन्द्रीय पुस्तकालय की सदस्यता 15,000/रु. प्रतिदेय प्रतिभूति/के साथ 15,000/रु. वार्षिक शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। निगमित निकाय (एक बार) इस सदस्यता से पुस्तक परामर्श/पुस्तक निर्गम सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

The industrial and corporate houses can become "Corporate Members" of the Library for availing the services of the Central Library on making an annual payment of Rs. 15,000/- and one-time security (refundable) of Rs. 15,000/-. The corporate Members can avail consultation/book borrowing and inter-library loan (ILL) facilities from the Central Library.

### दिशानिर्देश एवं विनियम / GUIDELINES AND REGULATIONS:

- क) निगमित निकाय को केवल एक सदस्य कार्ड जारी किया जायेगा। एक समय में दो स्टाफ सदस्यों को ही पुस्तकालय में परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - a) One Membership Card will be issued to the corporate house. At a time two persons can come to the Library for consultation.
- ख) निगमित निकाय के अधिकतम दो पस्तें 15 दिनों की अवधि के लिए जारी की जायेंगी।
  - b) The Corporate members are entitled to borrow maximum two books at a time for a period of 15 days.
- ग) निगमित निकाय सदस्य केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रवेश स्थल पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा स्टाफ को अपना सदस्यता कार्ड दिखाए, पुस्तकालय में परामर्श करने के हकदार होंगे।
  - c) The members of the corporate house shall be entitled to consult the Library by showing their Library membership Card to the Security Guard on duty at the entrance point of the Central Library.
- घ) सदस्य निर्धारित प्रभार भुगतान करने पर फोटोकॉपी सुविधा लेने के हकदार होंगे।
  - d) The members shall be entitled to avail the photocopying facilities on payment of prescribed charges.
- ङ) सदस्यता शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार किए जायेंगे। ड्राफ्ट 'कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली' के पक्ष में होना चाहिए।
  - e) Membership fee shall be accepted only through Bank-Draft. The draft should be in favour of "REGISTRAR, Indian Institute of Technology Delhi".
- च) सदस्यता एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
  - f) Membership will remain valid for a period of one year.
- छ) केन्द्रीय पुस्तकालय की सुविधाओं का प्रयोग करने वाले सदस्य सख्ती से शालीनता बनाए रखेंगे और इसके नियम विनियमों का पालन करें।
  - g) The members using the Central Library facilities shall strictly maintain the decorum and abide by its rules and regulation.
- ज) निकाय का कोई भी सदस्य पुस्तकालय में पुस्तकें परामर्श करते समय अथवा उनके द्वारा उधार की गई अवधि में नुकसान का कारण बनता हो तो नियमों के अनुसार नुकसान की भरपाई करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है।
  - h) Any member of the organization causing damage to the Books while consulting within the library or during the period the publications are on loan to them will be solely responsible for compensation of the damages as per rules and their membership may be cancelled.
- झ) निगमित सदस्यता पाने वाले निकायों से अनुरोध है कि पुस्तकालय विनियमों तथा पुस्तकालय वेबसाइट पर उपलब्ध "रिफ्रेंस गाइड टू रिसोर्सिज एण्ड सर्विसेस" को पूरा जरूर पढ़ें।
  - i) The organizations seeking corporate membership are requested to go through "Reference Guide to Resources and Services" available on IITD Library website.
- ञ) निगमित सदस्य उधार ली गई पुस्तकें अनुवाचित अवधि के अंदर ला दें। देय तारीख के पश्चात् पुस्तकें लौटाने पर उन्हें 1/रु. प्रतिदिन के हिसाब से बिलम्बित शुल्क जुर्माना देना होगा।
  - j) Books borrowed by the organization must be returned well within the stipulated period. Fine @ Rs. 1/- per day will be levied on the late return of publications after due date.